उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या : 47–अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2018–07–विविध(2ब)/2018 दिनांकः 06 अक्टूबर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर कारपोरेशन कार्यहित में एतद्द्वारा श्री महेश उपाध्याय (2013001) (हाथरस) (30.06.2041), सहायक अभियन्ता, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यांन्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यांन्त्रिकी) के पद पर नियुक्ति हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है।

2– श्री महेश उपाध्याय (2013001) को उनके आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री राज वीर सिंह (वरि0क्र0–7734) (2006003) की अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवम् यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नति के दिनाँक 30.06.2015 से नोशनल प्रोन्नत माने जाने के आदेश किये जाते है। इस नोशनल प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री महेश उपाध्याय (2013001) का वेतन उनके कनिष्ठ श्री राज वीर सिंह (वरि0क्र0–7734) (2006003), अधिशासी अभियन्ता के समतुल्य नोशनल प्रोन्नति के दिनांक 30.06.2015 से इस प्रतिबन्ध के साथ निर्धारित करने के आदेश किये जाते हैं कि उन्हें नोशनल प्रोन्नति के दिनांक 30.06.2015 से वास्तविक कार्यभार ग्रहण के दिनांक के बीच की अवधि का कोई एरियर देय नहीं होगा।

3– यह भी आदेश किये जाते हैं कि का0ज्ञा0संख्या–440–काविनी/पाकालि–29/2000 दिनांक 1–6–2000 में निहित प्राविधानानुसार उक्त अधिकारी की अगले पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा की गणना उनकी उपरोक्त नोशनल प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी।

4– उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21–3–2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

5– सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।

6– नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि(06)–2001 दिनांक 11–6–2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

7– यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का0ज्ञा0 में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।

8– उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञापांक 2900–प्रशि0–10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

9– उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।

10– उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः.......2......

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्याः 47(1)अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2018 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मा0 ऊर्जा/ऊर्जा राज्य मंत्री, जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2– अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।

3– प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।

4– समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।

5– मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।

6– समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

7– उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।

8– अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ।

9– उप सचिव (प्रशिक्षण)/(गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

10– सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(सदानन्द)

उप सचिव